

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम :- District Programme Management Unit (DPMU)

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– Strengthening of DHS/DPMU (Includes salary of DPM, DAM, DMEO, DPC & DEO/Office Asst.)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.10.2 (A.10.2.1 to A.10.2.6)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन को विकेंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके एवं राज्य के लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा सके। इसी के तहत जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यरत है।

इकाई राशि –

One DPMU Expenses (Salary Head):

Sl. No.	Particular	No. of Post	Salary per month	Concern FMR Code
1.	District Programme Manager	1	42000.00	A.10.2.1
2.	District Accounts Manager	1	35937.00	A.10.2.2
3.	District M & E Officer	1	29947.00	A.10.2.3
4.	District Planning Coordinator	1	24200.00	A.10.2.4
5.	Data Entry Operator	2	10000.00	A.10.2.6
6.	Office Assistant	1	10000.00	
7.	Accounts Assistant	1	10000.00	

वित्तीय दिशा-निर्देश-

- (1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जाती है। इस मद में आवंटित राशि का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत उपरोक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु संबंधित FMR Code से किया जाएगा।
- (2) स्पष्ट हो कि ROP 2013-14 में वर्णित है कि "Approval for programme management staff is being granted for six months only and its continuation for the next six months would be contingent on compliance of condition that Performance Measurement system is set up and implemented to monitor performance of regular and contractual staff. All existing programme management posts approved at the rate given in PIP/RoP 2012-13/as per last year's rate." निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त वित्तीय दिशा-निर्देश का शब्दशः अनुपालन करेंगे।
- (3) संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की नियमावली पत्रांक 22884 दिनांक 17.01.2011 एवं ROP 2013-14 के तहत निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी अपव्यय एवं वित्तीय दिशा-निर्देश के अवहेलना की पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या, तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – वरीय उप-समाहर्ता-सह-प्रभारी, मानव संसाधन
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर- का०-7488270145/मोबाईल – 9470003012

13/7/13